दिनांक 17 अप्रैल 2020

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

चाय, नाश्ता दुकान खुला करके भीड़ बढ़ाने पर दर्ज किया गया एफआईआर , पावर हाउस फल मंडी का मामला

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत पावर हाउस फल मंडी के समीप आसिफ खान द्वारा चाय, नाश्ता, बिस्किट इत्यादि का व्यवसाय किया जा रहा था जहां पर काफी मात्रा में भीड़ लगी हुई थी, दुकान बंद करने की समझाइश के बावजूद दुकानदार द्वारा व्यवसाय बंद नहीं किया गया जिस पर जोन क्रमांक 3 के जोन आयुक्त महेंद्र पाठक के निर्देश पर उप अभियंता मोहम्मद आसिफ इकबाल ने दुकानदार आसिफ खान के विरुद्ध छावनी थाना में एफआईआर दर्ज कराया! गौरतलब है कि दिनांक 16 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की मध्य रात्रि तक केवल अत्यावश्यक सेवाओं को ही छूट प्रदान की गई है, जिसका कड़ाई से पालन कराने निगम की टीम शहर में मुस्तैद है! जोन आयुक्त जोन क्रमांक 3 के निर्देश पर जब टीम निरीक्षण पर निकली तो यह पाया गया कि वार्ड क्रमांक 22 पावर हाउस फल मंडी के समीप दुकानदार आसिफ खान द्वारा चाय, नाश्ता, बिस्किट का व्यवसाय भीड़ लगाकर किया जा रहा है इस पर पुलिस प्रशासन को सूचना देते हुए छावनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है! निगम भिलाई क्षेत्र में शासन-प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरती जा रही है! निरीक्षण के दौरान टीम में उप अभियंता मोहम्मद आसिफ इकबाल, जोन के स्वच्छता प्रभारी आरपी तिवारी सहित निगम के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे!

जनसंपर्क अधिकारी